बीडा में उद्योगों को जमीन देने के लिए तय होंगी दरें

विकास पथ पर
बुंदेलखंड
अमर उजाला अभियान

13 जुलाई की बैठक में पेश होंगी प्रस्तावित दरें, शुरुआत में तैयार होंगे तीन क्लस्टर

अमर उजाला ब्यूरो

झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में जल्द ही उद्योगों को दी जाने वाली भूमि की दरें तय हो जाएंगी। इसके लिए दरों का खाका तैयार कर लिया गया है। इसे 13 जुलाई को लखनऊ में होने वाली प्रस्तावित बोर्ड बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बीडा अफसरों के मुताबिक, शुरुआत तीन कलस्टरों के साथ होगा।

करीब दो साल से कागजों में दौड़ रहे बीडा को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट से नियमावली मंजूर होने के बाद उद्योगों को जमीन देने का रास्ता साफ हो गया। पहले इनके लिए जमीन की दरें तय होंगी। बीडा अफसरों के मुताबिक, डेढ़ दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकृति के उद्योग यहां लगाए जाने हैं। इनके लिए अलग-अलग दरें प्रस्तावित की गई हैं।

यह दरें 13 जुलाई को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी। बोर्ड की मंजूरी के बाद यह दरें लागू होंगी। शुरुआत तीन कलस्टर से होगी। लखनऊ में होने वाली बोर्ड बैठक में बीडा समेत शासन के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।

बोर्ड के सामने पेश होगी नियमावली

कैबिनेट मंजूरी के बाद बीडा नियमावली को मंजूरी के लिए बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद शासन स्तर से गजट प्रकाशित होगा। गजट होने के बाद इस नियमावली के आधार पर बीडा में सुरक्षित निर्माण, भवन के डिजाइन और आकार को नियंत्रित करना, अनियोजित विकास को रोकना एवं पर्यावरण संबंधी अन्य बिंदु नियमित किए जा सकेंगे।

बोर्ड के सम्मुख उद्योगों को जमीन देने के लिए प्रस्तावित कीमतों की दरें प्रस्तावित की जाएंगी। इन दरों के तय होने पर इन्हीं दरों के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। - अमृत त्रिपाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा